

कार्यालय,सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ/प्र) लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दा पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ/ प्र) लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 2281-G C R G COLLEGE OF POLYTECHNIC**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
5	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाते वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ/प्र), संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ/प्र) तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ/प्र) द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने

के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समव.समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिलष.प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य काम के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(पफ0आर0 खान)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, G C R G COLLEGE OF POLYTECHNIC



(पफ0आर0 खान)

सचिव

**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या:- प्राशिपा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

सम्बद्धता दिनांक: 09/08/2021

**कार्यालय नमूना:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार। पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटीक पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम - 2281-G C R G COLLEGE OF POLYTECHNIC, PARVATPUR, CHANDRIKA DEVI ROAD, BAKSHI KA TALAB, LUCKNOW

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
2	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
5	CIVIL ENGINEERING	120	120

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, संशुद्ध विनियमकारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क जित वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पन्थक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा वटि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की कमीवजन दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सैटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार विरोधना एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनावे गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश

परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. लैंड टिकनी से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इन संबंध में संसद उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई काद टायर किया जाता है तथा टायर काद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संसद प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करती होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखिलक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश को (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सर्वोत्तम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ रेगिस्टर रोकने के सम्बन्ध में संसद आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, जर्गीवर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालनानुसक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०स०- प्राविच/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठिति:-

प्रधानाचार्य/निदेशक: G C R G COLLEGE OF POLYTECHNIC, PARVATPUR, CHANDRIKA DEVI ROAD, BAKSHI KA TALAB, LUCKNOW



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**आर्वालय,  
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
सतार प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्रतिपत्र/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

तखतक तिर्नांक: 15-9-2020

-आर्वालय रूप-

राष्ट्रीय मातृशिक्षा परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय/राज्यीय/समाजिक न्याय विभाग, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 हेतु शिक्षण सहायक/सहायिका शिक्षक संख्याओं को अनुसूचित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, (असम) सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, असम सरकार की अध्यक्षता में परिषद कक्षाओं में बैठक सफल हुई। बैठक में राष्ट्रीय द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुसूचित नई संख्याओं को सम्बद्धता/पूर्व से समाविष्ट संख्याओं को सम्बद्धता विचार/प्रदान/प्रदान संख्या बढ़ि सहित अन्य नए पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुसूचित से सम्बद्धता समिति की बैठक में सत्र-2 में दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 को सतार प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता संख्याओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सतार विचार-विचार एवं विचार निर्णय किया गया -

निजी क्षेत्र में स्थापित विभागीय इन इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रम समाविष्ट करने वाली दिनांक 2020-21 हेतु सतार प्रदेश सरकार, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, असम सरकार से पूर्व से सम्बद्ध है, से एम्पाईमेंट/सीटिंग्स द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सतार प्रदेश अनुसूचित विचार प्रदान किया गया है। इन संख्याओं से एम्पाईमेंट/सीटिंग्स द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचित विचार के अनुसार जनता को सम्पूर्ण अतिरिक्त पाठ्यक्रम/प्रदेश अक्षा के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने पर सतार द्वारा विचार-विचार किया गया एवं एम्पाईमेंट/सीटिंग्स द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सतार अनुसूचित विचार को अनुसूचित में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष सम्बद्धता समिति की बैठक में किए गये सतार निर्णय से अनुसूचित में सतार संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, असम सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विचारित हर्तों की अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं सतार अतिरिक्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संख्या कोड	संख्या का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एम्पाईमेंट/सीटिंग्स/प्रदान सत्र 2020-21 में अनुसूचित क्षेत्र अक्षा	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित क्षेत्र अक्षा
1	---	सहायक/सहायिका शिक्षक कोड 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	120	120	

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ सतार एम्पाईमेंट/सीटिंग्स/प्रदान/प्रदान निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ सतार सतार प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1982, संविधान अधिनियम 1956 तथा अन्य विहित विधियों एवं कानूनों का अनुपालन करेगी तथा सतार निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क कीमत अर्थात् इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रम हेतु रु. 20,00,000/- प्रतिवर्ष, जो राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित हेतु रु. 40,00,000/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की सतार अनुसूचित (जो राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु. 22,00,000) प्रतिवर्ष शुल्क को प्राथमिक पाठ/अक्षा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सतार/अक्षाओं से शुल्क को सतार से सतार-सतार पर सतार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले अनुसूचित प्रणाली सतार, और अनुसूचित अनुसूचित शिक्षा सतार अनुसूचित सतार सतार निर्धारण समिति द्वारा सतार सत्र 2020-21 हेतु सतार को अनुसूचित किया जायेगा। जो सतार की अनुसूचित सतार सतार सतार।

- ✓ संस्था को शिक्षा प्रौद्योगिक शिक्षा संविधानों तथा उप संविधानों, संस्थाओं को संबद्ध किया जाये। विनियमन-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा अधिनियम द्वारा आर्य समाज को ही प्रवेश दिया जायेगा। सिद्धों के शिक्षक स्वयं अपने ही विधियों में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को संस्था-समूह पर विभिन्न राजस्वों के अनुसार विधायक एवं संबद्धता सूची बना कर देना होगा।
- ✓ संस्था को एडवोकेट/लॉएयर/डॉक्टर से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाये कार्यवाही होगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये शिक्षा/विभाग/अधिनियमों/कारणवर्तियों/निदेशों एवं विनियम, प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा अधिनियम, 2000 तथा प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 2005 द्वारा बनाये गये विभिन्न विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने का दिव्य बाध्य होगी।
- ✓ विनियम द्वारा शर्तों परियोजना की संस्थाएं यदि नैसर्गिक/नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में संस्था परामर्शदात्री संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था उत्तर प्रदेश शासन होगी। प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा अधिनियम, प्राविधिक शिक्षा विनियम एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश शासन को कोई बात चरण किया जाये है तथा दूसरे सत्र के संबंध में भी आवश्यकता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल संज्ञा अथवा निर्णय किया जाये है कि संस्था प्रतिकूल संज्ञा को करती होगी।
- ✓ संस्था को आगामी परियोजना समझित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा अधिनियम द्वारा प्रवेश देने के लिए आवश्यक प्रस्ताव हेतु कार्यवाही प्रस्ताव देने के पूर्व पीपीआईआई में अनुमोदन प्राप्त कर परिसर कार्यवाही को प्रस्ताव बनाने होगा अथवा उत्तर प्रदेश की (कार्यालयिका के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय मूल्यांकन आयोग निर्णयों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की आगामी सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक मुद्रियाँ, स्टाफ संरचना-संख्या, आयु, शिक्षा, प्रवेश, शिक्षा जाने वाला सूची, आकाशवाणी सूची का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सातवां सत्र परियोजना बनाने को संस्था रीजिस्टर करने के संबंध में संस्था आवश्यक साधना सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित है कि संस्था में प्रशासिक/समाजिक परियोजना को चलाने वाले हेतु निश्चित अधिष्ठाता के साथ उपलब्ध कराने गये निश्चित सुविधा-सुख, पानी, आकाश वाणी का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परियोजना के समान ही प्रदान किया जाये है और परियोजना को इसकी आवश्यकता होती है कि संस्था परियोजना का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता प्रस्ताव विवेक धारण की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का पालन नहीं करने को निर्णय में विनियमन अनुसार अनुपालनमात्र कार्यवाही की जायेगी।

(आ. जा. वा. 10. सिंह)  
सचिव

पुस्तक- प्राविधिक/परिषद संस्था/2020/ 1972-3141

तारीख: 15-09-2020

प्राविधिक-कार्यवाही/निदेशक, नैसर्गिक/नई दिल्ली, नैसर्गिक और परामर्शदात्री, कानपुर, नैसर्गिक एवं उच्च स्तरीय का उत्तर, उत्तर प्रदेश।

(आ. जा. वा. 10. सिंह)  
सचिव